I/325479/2023

संख्या- /2023/ /001-764-33-3-2023

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 24360.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/428/2023-5 दिनांक 11.04.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित धनराशि रू. 24360.00 लाख (रू. दो अरब तैंतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राजय सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) धनराशि के आहरण एवं व्ययं के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की संभावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो यह सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(6) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/ सेस/चार्ज लिया जायेगा तथा संबंधित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(10) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की लागत का पुनः पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित सहमति के क्रम में आंकलित लागत पर ही कार्य गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराया जायेगा।

(11) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(12) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी

(14) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,43,60,00,000 (रुपये दो अरब तैंतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 014 **लेखा शीर्षक** 4235608000300 ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अशोक कुमार राम
Date: 01-06-2023 13:19:50
Reason: Approved

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव

संख्या- /2023/ /001-764-33-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत रू. 24360.00 लाख से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किए जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों से सम्बन्धित हेतु फांट

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या योग
1	2	3	4
1	प्रयागराज	23	26
2	आजमगढ़	22	25
3	जौनपुर	21	24
4	गोरखपुर	20	23
5	सीतापुर	19	22
6	हरदोई	19	22
7	रायबरेली	18	21
8	प्रतापगढ़	17	20
9	बलिया	17	20
10	गाजीपुर	16	19
11	गोण्डा	16	19
12	देवरिया	16	19
13	बुलन्दशहर	16	19
14	उन्नाव	16	19
15	खीरी	15	18
16	बरेली	15	18
17	बाराबंकी	15	18
18	आगरा	15	18
19	बदायूँ	15	18
20	शाहजहाँपुर	15	18
21	कुशीनगर	14	17
22	बहराइच	14	17
23	सिद्धार्थनगर	14	17
24	बस्ती	14	17
25	सुलतानपुर	14	16
26	फतेहपुर	13	15

27	अमेठी	13	15
28	अलीगढ़	12	14
29	महराजगंज	12	14
30	मिर्जापुर	12	14
31	मेरठ	12	14
32	बिजनौर	11	13
33	सहारनपुर	11	13
34	अयोध्या	11	13
35	मथुरा	10	12
36	सोनभद्र	10	12
37	कानपुर देहात	10	12
38	कानपुर नगर	10	12
39	मुजफ्फरनगर	9	11
40	अम्बेडकरनगर	9	11
41	बलरामपुर	9	11
42	चन्दौली	9	11
43	मऊ	9	11
44	फिरोजाबाद	9	11
45	संतकबीरनगर	9	11
46	मैनपुरी	9	11
47	जालौन	9	11
48	वाराणसी	8	10
49	मुरादाबाद	8	10
50	सम्भल	8	10
51	लखनऊ	8	10
52	बांदा	8	10
53	एटा	8	10
54	कौशाम्बी	8	10
55	कन्नौज	8	10
56	इटावा	8	10
57	झांसी	8	10
58	पीलीभीत	7	9
59	फर्रूखाबाद	7	9
60	हाथरस	7	9
61	औरैया	7	9
62	कासगंज	7	9

63	हमीरपुर	7	9
64	रामपुर	6	8
65	अमरोहा	6	8
66	सं०र०नगर	6	8
67	ललितपुर	6	8
68	बागपत	6	8
69	श्रावस्ती	5	7
70	शामली	5	7
71	चित्रकूट	5	7
72	हापुड	4	6
73	गाजियाबाद	4	6
74	महोबा	4	6
75	गौतमबुद्धनगर	3	5
	योग-	826	1000

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।